



**Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, Lucknow**  
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

**"PROVISIONAL" ADMIT CARD FROM WEBSITE FOR THE EXAMINATION**  
**Advertisement no.-02-Exam/2018**

**Sammilit Gram Panchayat Adhikari , Gram Vikas Adhikari ( S.K.) and Samaj Kalyan Paryavekshak ( Samanya Chayan ) Pratiyogitatmak Pariksha 2018**

Roll Number : **00920385**




\* 0 0 9 2 0 3 8 5 \*

**Candidate's Personal Details**


Registration No :	<b>71704094749</b>	Candidate Name :	<b>ROSHAN LAL MAURYA</b>
Date Of Birth - Gender :	<b>02/12/1994 - Male</b>	Father's/Husb's Name :	<b>SHAMBHOO MAURYA</b>
Native of U.P. :	<b>Yes</b>	Category / Sub-Cat. :	<b>OBC</b>

**Examination Centre Details :**

District Code & Name :	<b>47</b> -LUCKNOW	 <i>R. Maurya</i>
Centre Code & Name :	<b>253</b> -C.D. PUBLIC INTER COLLEGE	
Centre Address :	<b>DEVRAJI VIHAR, SATRIKH ROAD, CHINHAT,,LUCKNOW</b>	

**Examination Details :**

Examination Date :	<b>26/06/2023</b>		
Examination Timing :----->	<b>2nd Meeting</b>	<b>03:00 PM TO 05:00 PM</b>	

	
<b>Candidate's Signature ↑</b>	<b>Examination Controller ↑</b>

Admit Card downloaded from : "<http://upsssc.gov.in>" on dated - [ 19/06/2023 , 4:59:42 PM ]

**\* Note:** [Please read instructions carefully given on the page before proceeding in Examination.](#)

**सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी (स0क0) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन)**

**प्रतियोगितात्मक परीक्षा-2018 की पुनर्परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश**

1- अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र का स्थान, परीक्षा तिथि व निर्धारित समय का भली-भाँति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र में अंकित अर्हता/पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। अतः विज्ञापन में अर्हता/पात्रता को पढ़ कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी, अनर्ह/अपात्र पाये जाएंगे, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

2- परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 02 घण्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा (30 मिनट) पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जाएगा और परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात किसी भी दशा में अभ्यर्थी को

परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । अतः परीक्षा केन्द्र पर यथा समय पहुँचना सुनिश्चित करें ।

3- प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र के बाहर व केन्द्र के अन्दर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा ।

4- परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जाँच की जाएगी । अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा-आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पास पोर्ट/पैन कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की दो फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो, लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है, अर्थात् आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र, पहचान पत्र की एक फोटो कापी, दो पास पोर्ट साइज फोटो तथा नीला/काला बाल प्वाइंट पेन लेकर ही परीक्षा कक्ष में जा सकता है । कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत अभ्यर्थी को हैण्ड सैनिटाइजर की छोटी बोतल भी साथ ले जाने की अनुमति होगी ।

5- अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाईल फोन/ब्लूटूथ डिवाइस, आई0पैड, पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स आदि को लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेगा । यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

6- परीक्षा केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र/पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पायी जाती है, तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा केन्द्र की हेल्पडेस्क को संदर्भित किया जाएगा । जांचोपरांत ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित किये जाने अथवा न किये जाने के संबंध में केन्द्र अधीक्षक का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।

7- परीक्षा केन्द्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे और निर्धारित सीट पर बैठेंगे । केन्द्र परिसर में निर्धारित कक्ष के अतिरिक्त अनावश्यक भ्रमण किये जाने पर केन्द्र अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है ।

8- परीक्षा केंद्र कोड 05 अंकों का है, जिसमें प्रथम दो अंक जिला कोड हैं तथा अंतिम तीन अंक परीक्षा केन्द्र कोड हैं । अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केन्द्र कोड भरेगा ।

9- अभ्यर्थीगण ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर अपना अनुक्रमांक व पंजीयन संख्या, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, परीक्षा केन्द्र कोड (05 अंकों का), परीक्षा तिथि व पाली आदि सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक काले/नीले बॉल पॉइंट पेन से भरेंगे । गलत प्रविष्टियां भरने पर ओ0एम0आर0 का मूल्यांकन न होने अथवा अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे । काले/नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी पेन का प्रयोग किये जाने पर अभ्यर्थी की ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकेगी ।

10- अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उनकी ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उनके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के आधार पर ही किया जाएगा, अतः इस सम्बन्ध में अभ्यर्थीगण द्वारा विशेष सतर्कता अपेक्षित है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक के गलत भरे जाने की दशा में अभ्यर्थी स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी होगा। आयोग द्वारा परीक्षा के उपरान्त इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11- अभ्यर्थीगण ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिन्दी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिन्दी में अपना नाम न लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर ओ0एम0आर0 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

12- परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग (ऋणात्मक अंक) दिये जाने का प्रावधान है, दो प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का अंक काटा जायेगा। प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देना होगा। ओवरराइटिंग और एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा।

13- प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जो क्रमशः (A), (B), (C), (D) में अंकित रहेंगे। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर काले/नीले बाल पाइंट पेन से भरना है।

14- प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पुस्तिका के ऊपर एवं ओ.एम.आर. के पार्श्व भाग पर छपे निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लिया जाए। अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 पर गलत प्रविष्टि अंकित करने अथवा कोई प्रविष्टि अंकित न करने की दशा में ओ0एम0आर0 का मूल्यांकन कराया जाना सम्भव नहीं होगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार्य/मान्य नहीं होगा।

15- अभ्यर्थीगण परीक्षा प्रारम्भ होते ही अपनी प्रश्न-पुस्तिका एवं ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की भली-भाँति जांच कर यह सुनिश्चित हो लेंगे कि प्रश्न-पुस्तिका में सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं प्रश्न-पुस्तिका में सभी पृष्ठ मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर प्रश्न-पुस्तिका एवं ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक अन्तरीक्षक से बदलवा लें। परीक्षा प्रारम्भ होने के 05 मिनट के पश्चात् ऐसी स्थिति में किसी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

16- कक्ष अन्तरीक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न-पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। अनुमति के बिना प्रश्न-पुस्तिका को खोलकर प्रश्नों को पढ़ना/ओ0एम0आर0 में उत्तर अंकित करते हुए पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

17- परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों का बायोमैट्रिक डाटा (फोटो एवं आईरिस स्कैन) कैप्चर किया जाएगा तथा उनके द्वारा उपस्थिति पत्रक में अपना विवरण भरते हुए उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर भी किये जाएंगे। अभ्यर्थियों द्वारा बायोमैट्रिक डाटा कैप्चर में असहयोग किये जाने अथवा उपस्थिति पत्रक में विवरण व हस्ताक्षर नहीं किये जाने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। बायोमैट्रिक डाटा कैप्चर व उपस्थिति पत्रक भरे जाने में लगने वाले समय की प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थियों को 05 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

18- किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

- 19- यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से अभ्यर्थी को वंचित किया जा सकता है ।
- 20- उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग वर्जित है । यदि ओ0एम0आर0 शीट पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ का प्रयोग पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन प्रथमदृष्टया ही निरस्त कर दिया जाएगा ।
- 21- परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका की सभी तीनों प्रतियां कक्ष अन्तरीक्षक को सौंप दी जाएंगी । कक्ष अन्तरीक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की ओ0 एम0 आर0 उत्तर पुस्तिका की तीनों प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे व निर्धारित पैकेटों में सीलबन्द करेंगे । इन सीलबन्द पैकेटों पर परीक्षा कक्ष में उपस्थित कम से कम 02 अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर (उनके नाम व अनुक्रमांक सहित) भी कराए जाएंगे । इस कार्यवाही के पूर्ण होने तक सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में ही अपनी निर्धारित सीट पर शान्तिपूर्वक बैठे रहेंगे । कक्ष अन्तरीक्षक द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिकाओं की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अन्दर ही सीलबन्द किये जाने व ओ0एम0आर0 उत्तर पुस्तिका की अभ्यर्थी प्रति अभ्यर्थियों को वापस करने के उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।
- 22- परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति (अभ्यर्थी प्रति) एवं अपनी प्रयुक्त प्रश्न-पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं ।
- 23- यदि किसी प्रश्न के हिन्दी व अंग्रेजी रूपान्तरणों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता/त्रुटि हो तो प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण मान्य होगा ।
- 24- उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-7/2019/3/4/86-का-2/2019, दिनांक-04 दिसम्बर, 2019 एवं संख्या-आई0/210789/2022/65-3099/135/2022, दिनांक-08 सितम्बर, 2022 में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है । अभ्यर्थी श्रुतलेखक अपने साथ लाएगा, जिसे कोई यात्रा भत्ता आयोग द्वारा देय नहीं होगा । ऐसे अभ्यर्थी अपने साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, परिचय पत्र एवं दो फोटो तथा श्रुतलेखक की आई0डी0 प्रूफ एवं शैक्षिक अभिलेखों की छायाप्रति साथ लायें ।
- 25- ओ0एम0आर0 तथा फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें । यदि किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी द्वारा की जाती है, तो उसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- 26- अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल ओ0एम0आर0 अथवा ओ0एम0आर0 की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएंगे अन्यथा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे ।